दिनांक 17 अक्तूबर, 1985

क्रमांक 1042-ज-(2)-85/31519.—श्री सिंघ राम, पुत्र श्री शैलू, गांव भैणी सुरजन, तहसील महम, जिला रोहतक, की दिनांक 30 अप्रैल, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सिंघ राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1340-ज-(2)-78/24638, दिनांक 6 सितम्बर, 1978 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती नामलो के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1038-ज(2)-85/31523.—श्री मनी राम, पुत्र श्री राम करण, गांव कारोली, तहसील कोसली, जिला रोहतक, की दिनांक 5 नवम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए)तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री मनी राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6541-आर-4-67/4508, दिनांक 29 नवम्बर, 1967 तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरती देवी के नाम खरीफ़, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1039-ज-(2)-85/31527.—श्री सूरजे सिंह, पुत्र श्री हर लाल, गांव गांधरा, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 7 सितम्बर, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सूरजे सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2721-ज-(2)-75/34812, दिनांक 25 नवम्बर, 1975 तथा 1789-ज-(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मान कौर के नाम रबी, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 अक्तूबर, 1985

क्रमांक 1179-ज(2)-85/31752.—श्री जुगती राम, पुत्र श्री रती राम, गांव दहकोरा, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, की दिनांक 2 जुलाई, 1983, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जुगती राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3720-र-(4)-69/22259, दिनांक 29 सितम्बर, 1969 तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरूपी देवी के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

ओ० पी० सांगड़ा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

The 21st October, 1985

No. DHP-E2-85/312.—In pursuance of the provision contained in sub- section (3) of section 3 of the Punjab panchayat Samiti Act, 1961 (Punjab Act No. 3 of 1961) and in partial modification of previous notification issued in this connection and also in exercise of all powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to exclude Gram Panchayats Farwi-Kalan, Farwi-Khurd, Musabwala, Nega-Dela-Kalan and Panihari from Panchayat Samiti Bargudha, district Sirsa and to include the same in Panchayat Samiti Sirsa district Sirsa.

S. K. SHARMA,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.